जन कल्याण

आवासिय जनकल्याण समिति (रजि)

म.न. 3, गली न. 2, लखपत कालोनी पार्ट 2, बदरपुर, नई दिल्ली 110044
9717819860 / 9711188159

दिनॉक. 8/11/2011

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः मास्टर प्लान 2011 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लखपत कालोनी पार्ट 2 को ओ जोन (Zone O) से हटा कर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतु निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी कालोनी लखपत कालोनी पार्ट 2, मीठापुर विस्तार, विधान सभा क्षेत्र बदरपुर, दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में क्रमांक सख्या 226 तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 पर सूचीवद्ध है। तथा दिल्ली सरकार के अनाधिकृत कालोनी सेल के डिप्टी सेक्रेट्री द्वारा दिनांक 7/2/2011 को विकास कार्य के लिए जारी 733 कालोनियों की सूची में हमारी कालोनी का क्रमांक संख्या 128 तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 पर अंकित है। दिल्ली विकास प्रधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जो कि सरासर गलत है। जोन ओ (Zone O) यमुना नदी का अग्रभाग / यमुना बैंड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र मे आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के अनुरूप है।

हमारी कालोनी लखपत कालोनी पार्ट 2, 1639 की सूची में क्रमांक संख्या 226 रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 यमुना नदी से 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है, हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नही बैठे है। हमारी कालोनी के बाद साईं नगर, हरिजन बस्ती, गगन विहार, मोलडबन्द सीनियर सेकेण्डरी (सरकारी स्कूल) है तथा उसके बाद हरियणा के गॉव बसन्तपुर, इस्मायलपुर, अगवानपुर, सेतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियॉ भी आती है और उससे भी आगे यमुना नदी बहती है।